राजस्थान सरकार
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

क्रमांकः 9211 दिनांकः 31/8/23

विज्ञप्ति

श्रीमान निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के पत्रांक अराज/युटीबी/2023/369 दिनांक 24/07/2023 एवं 392 दिनांक 04.08.2023 के द्वारा प्राप्त निर्देशों के कम में बीकानेर जिले में उपलब्ध पैरामेडिकल (सहायक रेडियोग्राफर, लैब टैक्नीशियन, एवं फार्मासिस्ट) एवं नर्सिंग संवर्ग (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं नर्सिंग ऑफिसर) के स्पष्ट रिक्त पदों की सीमा तक आवश्यकता के अनुसार दिनांक 31.03.2024 अथवा रिक्त पदों पर नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो तक, जिला स्वास्थ्य कमेटी के माध्यम से चयन किया जाना है। अतः इच्छुक आवेदनकर्ता अपना आवेदन दिनांक 01.09.2023 प्रातः 11.00 बजे से 05.09.2023 सांय 5.00 बजे तक जिले की अधिकृत वेबसाईट http://zilabikaner.in/onlineform/ पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। ऑफ लाईन आवेदन स्वीकार नही किए जाऐगें।

क सं.	पदनाम	कुल पद	न्युन्तम योग्यता
1	नर्सिंग ऑफिसर (जीएनएम)	पद-150	जीएनएम/बीएससी नर्सिंग एवं आरएनसी का वैध पंजीयन प्रमाणपत्र
2	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम)	पद-10	एएनएम व आरएनसी का वैध पंजीयन प्रमाणपत्र
3	लैब टैक्नीशियन	पद-10	लैब टैक्नीशियन डिप्लोमा एवं आरपीएमसी का वैध पंजीयन प्रमाणपत्र
4	फार्मासिस्ट	पद-10	डी-फार्मा एवं बी-फार्मा एवं आरपीसी का वैध पंजीयन प्रमाणपत्र
5	सहायक रेडियोग्राफर	पद 10	डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी एवं आरपीएमसी का वैध पंजीयन प्रमाणपत्र

नोट :- उक्त पदों को जिला स्वास्थ्य कमेटी के माध्यम से युटीबी आधार पर भरे जाने हेतु निम्नानुसार शर्तो के अध्याधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1- युटीबी आधार पर उक्त पदों को भरे जाने के संबंध में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 तथा समय समय पर संशोधित नियम तथा अन्य भर्ती नियम मय अनुभव आधारित बोनस अंक की पालना की जायेगीं। साथ ही नर्सिंग ऑफिसर(जीएनएम), फार्मासिस्ट,लैब टैक्नीशियन, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) एवं सहायक रेडियोग्राफर का चयन शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता के प्रतिशत एवं बोनस अंको के आधार पर मेरिट बनाकर किया जायेगा।

2-आरक्षण एवं रोस्टर के नियमों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

3-इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय समय पर नियमों/आदेशों/परिपत्रों आदि की पूर्ण पालना की जायेगी।

4-वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ.16(5)एफडी/रूल्स/2014 दिनांक 03.07.2023 के अनुसार वेतन/मानेदय देय होगा।

5-युटीबी आधार पर नियुक्ति हेतु चयनित/पात्र कार्मिकों के पदस्थापन प्राथमिकता के आधार पर पूर्णतया नवस्वीकृत सीएचसी/पीएचसी ऐसी सीएचसी जहाँ 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त है तथा सीमावर्ती/जनजाति क्षेत्रों आदि में स्थित चिकित्सा संस्थानों में किया जायेगा।

6-चयन सूची में स्थानीय अभ्यर्थियों को वरियता दी जायेगी।

7-अभ्यर्थी राजस्थान नर्सिंग कोंसिल/फार्मेसी कोंसिल/पैरामेडिकल कोंसिल से आवेदन की अंतिम तिथि तक रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।

8-चयन प्रकिया को किसी प्रकार से प्रभावित करने पर उम्मीदवार के आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा। प्रार्थी का जिला स्वास्थ्य कमेटी द्वारा विभाग के रिक्त पद के विरूद्ध जिस स्थान हेतु पदस्थापन किया जायेगा उसी स्थान पर कार्य करना होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
बीकानेर